<u>विधान परिषद् के द्वितीय सत्र, 2025 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-3 का उत्तर:-</u>

प्रश्न	उत्तर
3 (क) क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बतायेंगे कि आकांक्षी जनपद सिद्धार्थनगर में कुल कितने दिव्यांगजन है?	भारत सरकार द्वारा संचालित स्वावलम्बन पोर्टल पर आवेदक के आवेदनोपरान्त संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा यू0डी0आई0डी0 कार्ड निर्गत किये जाते हैं। वर्तमान में महत्वाकांक्षी जनपद-सिद्धार्थनगर में दिनांक 31 जुलाई, 2025 तक कुल 23143 दिव्यांग पंजीकृत किये गये हैं।
(ख) कुल कितने दिव्यांगजनों को पेंशन तथा कितनों को उपकरण दिये गये है?	• दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजनान्तर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजनान्तर्गत पात्र पाये गये कुल 13,648 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। • कुष्ठावस्था पेंशन योजनान्तर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजनान्तर्गत पात्र पाये गये कुल 145 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। • कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजनान्तर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 289 उपकरण वितरित कर पात्र दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपकरणों के वितरण हेतु कुल 321 पात्र दिव्यांगजनों को चिह्नांकित कर, चयनित कर लिया गया है।
(ग) उक्त जनपद में ऐसे कितने दिव्यांगजन है जिन्हें अभी तक कोई सहायता जैसे पेंशन एवं उपकरण नहीं प्रदान किये गये है?	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं यथा-दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन), कुष्ठावस्था पेंशन योजना, कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना में आवेदकों द्वारा आनलाईन आवेदन करने के पश्चात् उनकी पात्रता के आधार पर लाभान्वित किया जाता है, यह एक सतत् प्रक्रिया है। उक्त 321 पात्र लाभार्थी शेष हैं।
(घ) इसके प्रमुख कारण क्या है?	उपर्युक्तानुसार।

नरेन्द्र कश्यप
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग।